प्रेस विज्ञप्ति

04.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्यवाही प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई, जिनसे संकेत मिला था कि कुछ धनाढ्य व्यक्तियों, जो भारत के निवासी हैं, द्वारा हवाला माध्यमों से भुगतान भेजकर, विदेशों में, खासकर दुबई में निवेश किया गया। तलाशी के दौरान फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन कर अर्जित अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों से संबंधित अपराध-संकेती दस्तावेज़ एवं जानकारियाँ बरामद हुई।

जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय निवासी, श्री कपिल अग्रवाल तथा श्रीमती संगीता अग्रवाल, ने संयुक्त रूप से दुबई में कुल दस (10) अचल संपत्तियाँ अर्जित कर अपने पास रखीं, जिनकी कुल लागत यूएई दिरहम 1,94,03,975 (लगभग ₹34.14 करोड़) है। इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भारत से अधिकृत बैंकिंग माध्यमों के जरिए कोई समतुल्य बाह्य प्रेषण नहीं किया गया। वे उक्त संपत्तियों के अधिग्रहण में प्रयुक्त विदेशी धन के स्रोत से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से विदेश में परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु कोई स्वीकृति भी प्रस्तुत करने में विफल रहे।

इसी प्रकार, जांच से यह भी उजागर हुआ है कि श्री एस. भट्टाचार्य, जो भारतीय निवासी हैं, ने दुबई में दो अचल संपत्तियाँ अर्जित की, जिनका मूल्य यूएई दिरहम (एईडी) 40,07,319 (लगभग ₹9.83 करोड़) है। इन संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भी भारत से अधिकृत बैंकिंग माध्यमों के जरिए कोई समतुल्य बाह्य प्रेषण नहीं किया गया। साथ ही, वे विदेशी धन के स्रोत से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा आरबीआई की स्वीकृति प्रस्तुत करने में विफल रहे।

चूँकि उक्त विदेशी अचल संपत्तियाँ भारत से बाहर स्थित थीं और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ज़ब्त किया जाना संभव नहीं था, इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 37क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत में स्थित अचल संपत्तियों की ज़ब्ती का आदेश पारित किया, जिन्हें फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन में विदेश में अर्जित एवं धारित परिसंपत्तियों के समतुल्य मूल्य की संपत्तियों के रूप में कुर्क किया गया। तदनुसार, श्री कपिल अग्रवाल एवं श्रीमती संगीता अग्रवाल के परिप्रेक्ष्य में लगभग ₹17.83 करोड़ मूल्य की पाँच (05) अचल संपत्तियों तथा श्री एस. भट्टाचार्य (मेसर्स एन ई सी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से संबद्ध) के परिप्रेक्ष्य में लगभग ₹10 करोड़ मूल्य की तीन (03) अचल संपत्तियों के लिए ज़ब्ती आदेश जारी किए गए हैं।

आगे की जांच प्रगति पर है।